सामाजिक समस्या

उपविषय वस्तु

- सामाजिक समस्याएं
- सामाजिक समस्याओं के प्रकार
- बाल विवाह का अर्थ
- बाल विवाह के कारण, दुष्परिणाम और रोकथाम के उपाय
- नशाखोरी क्या है
- नशाखोरी के कारण, दुष्प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय
- बाल तस्करी व मानव तस्करी का अर्थ, तरीके एवं रोकथाम
- बाल श्रम कारण, दुष्प्रभाव, बाल श्रम संबंधी कानून
- अभ्यास प्रश्न

सीखने के प्रतिफल (LO)

- बाल विवाह बाल श्रम नशाखोरी और मानव तस्करी जैसे सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं।
- मौलिक अधिकारों की अपनी समझ से किसी दी गई स्थिति जैसे बाल अधिकार के उल्लंघन संरक्षण और प्रोत्साहन की स्थिति को समझते हैं।

जब भी हम समाजिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा अभिप्राय मानवीय संबंधों, सामाजिक संरचना, संगठन आदि से होता है। समस्या का अभिप्राय ऐसे अनुचित व्यवहार और प्रचलन से हैं जो सामाजिक व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर देता है।

अतः सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना या मानवीय संबंधों में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम सामाजिक समस्या कहते हैं।

भारत एक प्राचीन देश है और कुछ अनुमानों के अनुसार भारतीय सभ्यता लगभग 5000 साल की है। भारतीय समाज विविध संस्कृति, लोगों, विश्वासों और भाषाओं का एक जटिल मिश्रण है, जो कि कहीं से भी आया हो लेकिन अब इस विशाल देश का एक हिस्सा है। यह जटिल और समृद्ध भारतीय समाज को एक बहुत जीवंत सांस्कृतिक देश बनाता है। हमारे भारत में आज भी बहुत ऐसी समस्याएं हैं, जो भारत के विकास में बाधा बनी हुई है, जैसे गरीबी, जनसंख्या, प्रदूषण, नीरक्षरता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी, क्षेत्रवाद, नशाखोरी बालश्रम, बाल विवाह, मानव एवं बाल तस्करी।

© JCERT not to be republished

सामाजिक समस्याओं के प्रकार

सामाजिक समस्याएँ विभिन्न प्रकार की हो सकती है, इन विविध सामाजिक समस्याओं को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है–

1. **आर्थिक कारक**– यह समस्या आर्थिक वितरण में और असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है।
2. **सांस्कृतिक कारक**– ऐसी समस्या जो राष्ट्रीय समाज की स्थापित मान्यताओं, मूल्यों, परंपराओं, कानूनो और भाषाओं से उत्पन्न होती है जैसे दहेज बाल विवाह आदि।
3. **जैविक कारक**– प्राकृतिक आपदा, संक्रामक रोगों, आकाल आदि के कारण होने वाली समस्या।
4. **मनोवैज्ञानिक कारक**– बीमार मानसिकता और न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य से उत्पन्न समस्या इस श्रेणी में आती हैं।

भारत में कौन–कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं–

आज हमारे भारत देश में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां व्याप्त हैं। इनमें से प्रमुख हैं–बाल शोषण, घूसखोरी, और भ्रष्टाचार, असमानता, गरीबी, जातिवाद, मानव तस्करी, नशाखोरी आदि।
कुछ सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करेंगे। जैसे–

बाल विवाह

बाल विवाह एक ऐसी कुरीति है, जो भारत देश में सदियों से चली आ रही है। पूरे विश्व में बाल विवाह के लिए भारत दूसरे स्थान पर आता है। 'बाल' का अर्थ है कि बालक या बच्चा तथा विवाह का अर्थ है शादी। यानी बाल विवाह का स्पष्ट अर्थ है बच्चों का विवाह।

बाल विवाह कुरीति के अंतर्गत दो अपरिपक्व बालक बालिका को आजीवन विवाह के रिश्ते में बांध दिया जाता है

बाल विवाह के कारण

भारत में बाल विवाह होने के अनेक कारण हैं। जैसे–

1. **अशिक्षा**– अशिक्षा, बाल विवाह होने का एक कारण माना जाता है। कुछ लोग पढ़ाई के महत्त्व को नहीं समझते, उन्हें लगता है बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ उनकी शादी कर दी जाए।
2. **कृषि की प्रधानता**– भारत कृषि प्रधान देश है, खेतों में काम करने के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, इसलिए लोग अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, जिससे उनको खेतों में काम करने वाले मिल जाएंगे।

© JCERT not to be republished

3. **जिम्मेदारी से मुक्ति**– माता पिता जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं इसलिए भी वह अपने बच्चों की शादी छोटी उम्र में करवा देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शादी करना एक जिम्मेदारी है।

4. **दहेज प्रथा**– हमारे समाज में व्याप्त दहेज प्रथा भी बाल विवाह होने के कारण है, माता पिता की ऐसी सोच होती है कि जितना देर से शादी करेंगे उतना ही ज्यादा दहेज देना पड़ेगा, इसलिए वे कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर देते हैं।

बाल विवाह की कविता

नये–नये हैं पंख अभी
मुझे खुले आकाश में उड़ने दो,
विवाह किसे कहते हैं? माँ!
मेरा बाल–विवाह हरगिज मत होने दो।

–नितिश कुमार

बाल विवाह के प्रभाव

1. **मानसिक विकास अवरुद्ध**– कम उम्र में शादी करने के कारण बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।
2. **उच्च शिक्षा में बाधा**– बाल विवाह उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है, बच्चों में छोटी उम्र में ही घर परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिसके कारण बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
3. **मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि**– बाल विवाह के कारण लड़कियां छोटी उम्र में ही माँ बन जाती हैं, जिसकी माता पिता एवं बच्चा दोनों की जान जाने की खतरा बनी रहती है।
4. **जनसंख्या वृद्धि**– जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बाल विवाह भी है, छोटी उम्र में शादी होने के कारण एवं अज्ञानता एवं और अशिक्षा के वजह से ज्यादा बच्चों को जन्म देती है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती है।
5. **कुपोषण**– जिस उम्र में बच्चों का ख्याल रखने की आवश्यकता होती है, उस उम्र में वे जिम्मेदारी के बोझ तले दब जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं।

© JCERT not to be republished

यह भी जानें

विवाह के लिये न्यूनतम उम्र

- पाकिस्तान में लड़कों की उम्र 18 और लड़की की 16 है।
- फ्रांस/जर्मनी में लड़कियों के लिये 18 वर्ष है।
- जापान में लड़कों की 18 और लड़की की 16 वर्ष है।
- ईरान में लड़कों की 15 और लड़की की 13 वर्ष है।

बाल विवाह रोकने के उपाय

1. मोबाइल शिक्षा प्रणाली द्वारा बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया जा सकता है, जिनमें शिक्षा का अभाव है, उन तक भी मोबाइल से शिक्षा प्रदान की जा सकती है।
2. समाज में जागरूकता पैदा करना चाहिए। बाल विवाह से होने वाले दुष्प्रभाव को नुक्कड़ नाटक के रूप में प्रस्तुत करना, रैली, सभा इत्यादि के द्वारा बताना एवं लोगों को जागरूक करना।
3. प्रलोभन देकर भी हम बाल विवाह को रोक सकते हैं जैसे–सुकन्या समृद्धि योजना(इसमें जमा किया हुआ पैसा लड़की के 18 साल पूरे होने के पश्चात ही मिलेंगे)
4. गरीबी बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है, इसलिए गरीबी दूर करने के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए।
5. बाल विवाह रोकने के लिए कठोर सजा का भी प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि कठोर सजा के डर से भी अभिभावक या माता पिता बाल विवाह पर रोक लगाएंगे।
6. मीडिया भी जागरूकता फैलाने एवं बाल विवाह को रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

यह भी जानें

- भारत में कानूनन विवाह के लिये आयु, लड़कों के लिए 21 वर्ष एवं लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

बाल विवाह रोकने हेतु सरकारी प्रयास

सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसमें निम्न प्रावधान किए गए हैं–

1. शादी की उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष एवं लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

© JCERT not to be republished

2. बाल विवाह रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रथम दर्जे के जिला न्यायाधीश के पास याचिका दायर कर सकता है।

3. बाल विवाह करने वाले माता पिता सहित अन्य लोगों पर कार्यवाही कर दो वर्ष की सजा एवं 1,00,000 का जुर्माना है।

4. बाल विवाह से पीड़ित व्यक्ति पारिवारिक या जिला न्यायालय से ऐसे विवाह को अमान्य घोषित करवा सकता है।

5. अगर कोई व्यक्ति किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह करता है, तो इसे कानूनन अपराध माना जाएगा एवं उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है।

यह भी जानें

- झारखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

चर्चा करें

1. आपके पड़ोस में किसी नाबालिग की शादी की जा रही है, आप क्या करेंगे? चर्चा करें।
2. आप बाल विवाह को रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे? चर्चा करें।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. बाल विवाह किसे कहते हैं?

उत्तर. जब दो अपरिपक्व (जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो)–बालक–बालिका को आजीवन विवाह के रिश्ते में बांध दिया जाता है, उसे बाल विवाह कहते हैं।

प्रश्न 2. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़का एवं लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की गई है?

उत्तर. अधिनियम 2006 के अनुसार लड़कों की उम्र 21 वर्ष एवं लड़कियों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

प्रश्न 3. बाल विवाह होने के क्या कारण है?

उत्तर. बाल विवाह होने के अनेक कारण हैं जैसे–

i. गरीबी/निर्धनता

ii. अशिक्षा

iii. रूढ़ीवादिता

© JCERT not to be republished

iv. दहेज प्रथा

v. जम्मेदारी से मुक्ति आदि।

प्रश्न 4. बाल विवाह को रोकने हेतु क्या प्रयास किए जा सकते हैं?

उत्तर. बाल विवाह को रोकने हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं–

i. शिक्षा का प्रसार

ii. समाज में जागरूकता फैलाना

iii. मीडिया की भागीदारी

iv. गरीबी दूर करने का प्रयास

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें–

प्रश्न 1. बाल विवाह सामाजिक......................... है।

प्रश्न 2. कानूनन लड़कों के विवाह की आयु.............................. वर्ष है।

प्रश्न 3. कानूनन लड़कियों की विवाह की आयु............................वर्ष है।

प्रश्न 4. .... बाल विवाह का एक कारण है।

प्रश्न 4. बाल विवाह कराने वालों पर...................................... वर्ष का सजा का प्रावधान है।

उत्तर. 1. कुरीति 2. 21 3. 18 4. अशिक्षा/गरीबी 5. दो

निम्न प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दें–

प्रश्न 1. मानव एक सामाजिक प्राणी है।

प्रश्न 2. बाल विवाह कानूनन अपराध है।

प्रश्न 3. 2021 से लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष है।

प्रश्न 4. बाल विवाह कराने वाले पुरोहितों को इनाम का प्रावधान है।

प्रश्न 5. बाल विवाह अधिनियम 2006, 2007 में लागू हुआ।

उत्तर. 1. हाँ 2. हाँ 3. नहीं 4. नहीं 5. हाँ

नशाखोरी

मादक पदार्थों के नियमित सेवन को नशाखोरी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी मादक पदार्थ का (प्रतिदिन) नियमित सेवन करता है, तो वह उसका आदी हो जाता है तथा उसे नशे

© JCERT not to be republished

के अभाव में मानसिक, शारीरिक, संतुलन भी डगमगा जाता है।

नशाखोरी एक गंभीर स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्या है। नशा के लत के कारण टी. बी., कैंसर, पागलपन जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। नशाखोरी के बहुत सारे कारण निम्नलिखित है।

1. शिक्षा की कमी
2. संगति का असर
3. नशा संबंधित पदार्थों की खुलेआम बिक्री
4. मॉडर्न बनने के लिए
5. सिनेमा का प्रभाव
6. घर एवं परिवार में उचित स्नेह न मिलना
7. तनाव, अवसाद
8. बेरोजगारी, असुरक्षा की भावना
9. अनिश्चित भविष्य आदि।

चर्चा करें

- आप अपने माता–पिता या मित्र को नशा की लत से बचाने के लिए क्या प्रयास करेंगे।

यह भी जानें

- हर साल 31 मई को तम्बाकू मुक्ति दिवस व विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- नशा, नाश का जड़ है भाई, घर–घर में है आग लगायी। नशा से नाता तोड़ेंगे परिवार को जोड़ेंगे।

नशाखोरी के दुष्परिणाम

नशाखोरी के दुष्परिणाम– नशा एक ऐसी समस्या है जो दूसरी समस्याओं को न्यौता देती है। नशाखोरी का देश एवं उसके युवाओं पर निम्न दुष्परिणाम पड़ते हैं–

1. गरीबी बढ़ती है
2. घरेलू हिंसा को बुलावा

© JCERT not to be republished

3. स्वास्थ्य संबंधित समस्या
4. अपराधी प्रवृति का जन्म
5. स्मरण शक्ति में कमी
6. परिवार टूट जाती है,

यह भी जानें

नशा की लत से बाहर आने के लिए निम्न प्रयास करें–

1. चिकित्सक से सलाह लें
2. नशाखोरी के लिए प्रेरित करने वाले मित्रों से दूर रहे।
3. नकारात्मकता से बचें।
4. अपनी माता पिता या शिक्षकों से अपनी समस्या साझा करें।
5. नशामुक्ति केंद्र से परामर्श लें।

नशा मुक्ति के उपाय/नशाखोरी को रोकने के उपाय

नशा एक ऐसी लत है जो एक बार किसी को लग जाती है तो उसे मौत के मुँह तक ले जाती है। हमारे देश की सरकार को नशा मुक्ति के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए जैसे–

1. सरकार को खुलेआम मादक पदार्थों की बिक्री एवं सेवन पूरी तरह से बंद करना चाहिए।
2. सिनेमा, टीवी मैं इस के प्रयोग को वर्जित करना चाहिए।
3. नशाखोरी की समस्या के बारे में लोगों को बताने के लिए कैम्प, सभा आयोजित करनी चाहिए।
4. नशाखोरी से कितना नुकसान है, इसके लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक करना चाहिए।

हम सबका है यही सपना,
नशा मुक्त हो भारत अपना,
जीवन में अगर स्वस्थ है रहना
नशे से हमें दूर है रहना ।
हम सबने यह है ठाना
नशे को जड़ से है मिटाना
देश को आगे है बढ़ाना
नशे को है खत्म कराना।

© JCERT not to be republished

यह भी जानें

- अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. नशाखोरी का क्या अर्थ है? या नशाखोरी क्या है?

उत्तर. मादक पदार्थों के नियमित सेवन को नशाखोरी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी मादक पदार्थ का नियमित सेवन करता है तो वह उसका आदी हो जाता है तथा उसका मानसिक एवं शारीरिक संतुलन डगमगा जाता है।

प्रश्न 2. नशाखोरी के किन्हीं चार कारणों को लिखें ?

उत्तर. नशाखोरी के कारण निम्न है–

1. नशाखोरी के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती है जैसे–वजन कम होना, टी.बी., कैंसर, पागलपन इत्यादि
2. नशाखोरी के कारण गरीबी भी बढ़ती है, क्योंकि नशा में लोग सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं।
3. सिनेमा जगत का नशाखोरी बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है टीवी, में खुलेआम शराब, सिगरेट गुटका खाते हुए लोगों को दिखाया जाता है।
4. नशा करने वाले व्यक्ति अपना आपा खो देते हैं और घरेलू हिंसा को दावत देते हैं। वो अपने घर में अपनी बीवी बच्चों को मारने लगता है।

प्रश्न 3. नशाखोरी से बचाव के क्या प्रयास किए जा सकते हैं?

उत्तर. नशाखोरी से युवकों को बचाने के लिए अनेक प्रयास किए जा सकते हैं जैसे–

1. नशाखोरी की समस्या के बारे में लोगों को बताना, उन्हें जागरूक करना।
2. टीवी एवं सिनेमा के माध्यम से नशाखोरी के दुष्परिणाम से अवगत कराना।
3. मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना ।

प्रश्न 4. आपके परिवार या मित्र किसी को नशे की लत लग गई है, उसे नशे की लत से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? आप उनकी कैसे सहायता करेंगे?

उत्तर. नशा करने वाले व्यक्ति को नशा मुक्ति केन्द्र ले जाकर वहाँ उपचार कराना चाहिए।

© JCERT not to be republished

सही उत्तर को चिन्हित (✓) करें

प्रश्न 1. नशाखोरी कहलाता है–
(क) मादक पदार्थो का सेवन (क) फल एवं सब्जी का सेवन

प्रश्न 2. तंबाकू मुक्ति दिवस व विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है
(क). 31 जून (ख) 31मई

प्रश्न 3. नशाखोरी एक सामाजिक समस्या है
(क) हाँ (ख) नहीं

प्रश्न 4. अंतराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है।
(क) 26 जनवरी (ख) 26 जून

उत्तर. 1. (क), 2. (ख), 3. (क), 4. (ख),

मानव तस्करी या बाल तस्करी

© JCERT not to be republished

मानव तस्करी एक गंभीर संवेदनशील समस्या बनकर उभर रही है। मादक पदार्थों व हथियारों की तस्करी के बाद मानव तस्करी दुनिया में सबसे बड़ा संगठित अपराध हैं। किसी व्यक्ति को बल प्रयोग कर, डराकर, धोखा देकर या हिंसक तरीकों से कार्य कारवाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना तस्करी के अंतर्गत आता हैं।

भारत में बाल तस्करी की मात्रा बहुत अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, हर आठ मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। कुछ मामलों में बच्चों को उनके घरों में बाजार में खरीदने और बेचने के लिए ले जाया जाता है। अन्य मामलों में बच्चों को नौकरी का अवसर का प्रलोभन देकर तस्करों के हाथों में सौंप दिया जाता है। भारत में श्रम, भीख मांगने और यौन शोषण– जैसे विभिन्न कारणों से कई बच्चों की तस्करी की जाती है।

मानव तस्करी के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं–

1. बंधक मजदूर बनाना
2. भीख मंगवाना
3. अंग निकालना (जैसे– किडनी, आँख, खून इत्यादि)
4. आपराधिक मामलों में शामिल करना
5. जबरन शादी करना
6. घरेलू गुलामी

मानव तस्करी एवं बाल तस्करी के तरीके

1. प्रलोभन देकर
2. धमकी द्वारा
3. जबरन/बल प्रयोग द्वारा
4. अपहरण करके
5. धोखे से

पता करें

मानव तस्करी एवं बाल तस्करी के और कौन कौन तरीके होते हैं?

यह भी जानें

मानव तस्करी के शिकार होने वाले लोग निम्न हैं–

1. बच्चे (लड़के व लड़कियां)
2. ज्यादा पैसा कमानों की ललक वाले लोग
3. शहर की चमक–दमक से प्रभावित लोग
4. अज्ञानी लोग
5. गरीब व पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोग

मानव तस्करी की रोकथाम

मानव तस्करी को कई प्रकार के हस्तक्षेप से रोका जा सकता है। सार्वजनिक रूप से उन कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हैं, जो मानव तस्करी के लिए ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिम्मेदार हैं।

राज्य की भूमिका

- अनिवार्य गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आय सृजन और रोजगार के अवसर पैदा किये जाने चाहिए।
- तस्करी को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने चाहिए।
- जागरूकता फैलाना कि मानव तस्करी अवैध और अनुचित है और इसके नकारात्मक परिणाम है।

मानव तस्करी को रोकने के लिए अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के तहत सभी प्रकार के मानव तस्करी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस कानून की धारा 5 के अनुसार यह दंडनीय है इसमें कानूनी प्रावधान निम्न है–

© JCERT not to be republished

1. कोई भी व्यक्ति जो मानव तस्करी करता है एवं उसे पहली बार दोषी ठहराया गया है, तो उसे कम से कम सात साल कारावास की सजा का प्रावधान है। दूसरे एवं आगे की स्थिति में आजीवन कारावास की सजा होगी।
2. कोई भी व्यक्ति जो मानव तस्करी करने का प्रयास करता है या किसी दूसरे को इस कार्य में मदद करता है तो यह मान लिया जायेगा कि उसने यह अपराध किया है तथा वह सजा का हकदार होगा।

यह भी जाने

मानव तस्करी से बचने के तरीके

1. किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आये।
2. हमेशा सतर्क रहे।
3. यात्रा करते समय किसी का दिया कुछ नहीं खाये।
4. अपरिचित से ज्यादा घुले – मिले नहीं
5. अपने अभिभावक माता, पिता का मोबाइल नं0 याद रखें।
6. किसी के बहकाने व प्रलोभन की जानकारी माता–पिता एवं शिक्षक को दें।

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट

इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य बंधुआ मजदूर, देह व्यापार, और बालश्रम पर अंकुश लगाना है। जिले के अपराध शाखा के पुलिस अधीक्षक इसके पर्यवेक्षण अधिकारी और सीआइडी के पुलिस महानिरीक्षक इसके नोडल अधिकारी होंगे। झारखंड के आठ जिलों में (Anti Human Traffiking unit) कार्यरत हैं–

खूंटी, दुमका, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू, गुमला, राँची और चाईबासा।

बाल–श्रम

5 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों से मजदूरी के भुगतान के साथ या भुगतान के बिना शारीरिक कार्य कराना बाल मजदूरी या बाल श्रम कहलाता है। बाल मजदूरी के अंतर्गत 5 से 14 वर्ष की के ऐसे बच्चों को शामिल किया जाता है जो किसी उद्योग, कल–कारखानों, होटलों या किसी भी दुकान में शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य करते हैं।

बाल मजदूरी के कारण

1. माता–पिता का अशिक्षित होना।

© JCERT not to be republished

2. बच्चों का अनाथ होना।
3. गरीबी।
4. अत्यधिक जनसंख्या।

बाल मजदूरी के दुष्प्रभाव

- बाल मजदूर का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।
- शिक्षा से वंचित हो जाने के कारण बच्चे जीवनपर्यंत निम्न स्तर का जीवन ही व्यतीत कर पाते हैं और अपने भविष्य को अच्छा बनाने में सक्षम नहीं हो पाते।
- बाल मजदूरी से बच्चों के जीवन को कई तरीको से खतरा बना रहता है, क्योंकि बुरे लोगों द्वारा कई तरीकों से उनका शोषण किया जाता है।

- जिनको जाना था यहाँ पढ़ने को स्कूल, जूतों पर पॉलिश कर रहे हैं वो भविष्य के फूल।

बाल श्रम कानून

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में बाल–श्रम एक चिंता का विषय है। संविधान निर्माता भी बाल श्रम की समस्या से अवगत थे। इसीलिए उन्होंने संविधान में इससे संबंधित प्रावधान दिये। बाद में अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों एवं बच्चियों के लिए मुफ्त शिक्षा हेतु सभी आधारभूत संरचना एवं संसाधन उपलब्ध करायेगा। सन 1986 में भारत सरकार के द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया।

यह कानून बालश्रम अधिनियम (निषेध एवं नियमन) 1986 के नाम से जाना जाता है। इस कानून में निम्न प्रावधान किया गया है–

- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं बच्चियों से होटल, कारखाना, रेलवे स्टेशन, दुकान, खदान जैसे जगहों पर मजदूरी करवाना दंडनीय है।
- खतरनाक उद्योगों जैसे– बीड़ी, कालीन, सीमेंट, माचिस, साबुन, चमड़ा, भवन निर्माण आदि में बाल मजदूरी निषेध माना गया है।
- कोई भी व्यक्ति बाल मजदूरी करवाता है। यदि उसका यह अपराध प्रथम बार सिद्ध होता है तो उसे तीन महीने से लेकर एक वर्ष की सजा या
- 20 हजार रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। यदि वह इसकी पुनरावृत्ति करता हैं, तो उसे दो वर्ष की सजा का प्रावधान हैं।

© JCERT not to be republished

यह भी जाने

- संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी करना दंडनीय अपराध हैं।

यह भी जाने

- संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना अपराध है।

यह भी जाने

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. मानव तस्करी व बाल तस्करी के क्या कारण है?

उत्तर. मानव तस्करी एक गंभीर संवेदनशील समस्या है। भारत में मानव तस्करी भीख मंगवाने, मजदूरी करवाने, जबरन शादी करने, अंगों को निकालने, घरेलू गुलामी करने आदि के लिए किया जाता है।

प्रश्न 2. मानव तस्करी के लिए लोग किन तरीकों को अपनाते है?

उत्तर. मानव तस्करी के लिए लोग बच्चों को प्रलोभन देते हैं, जैसे– नौकरी लगाना। इसके अलावा धोखे से, बल प्रयोग करके, अपहरण करके पैसे लेकर तस्करों के हाथ में सौंप देते हैं।

प्रश्न 3. बाल श्रम क्या है?

उत्तर. 5 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों से मजदूरी के भुगतान के साथ या भुगतान के बिना शारीरिक कार्य कराना बाल मजदूरी या बाल श्रम कहलाता है।

प्रश्न 4. बाल श्रम के किन्ही चार कारण बताएँ।

उत्तर. बाल–श्रम के चार कारण निम्नलिखित हैं–

1. गरीबी।
2. माता–पिता का अशिक्षित होगा।
3. अत्यधिक जनसंख्या।
4. बच्चों का अनाथ होना।

© JCERT not to be republished

प्रश्न 5. आपके आस–पास कोई 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा मजदूरी करता दिखता है, तो आप क्या करेंगे?

उत्तर. तुरंत पुलिस को 100 नम्बर पर सूचित करें या चाइल्ड हेल्पलाइन को 1098 पर कॉल करना चाहिए।

बहुविकल्पीय प्रश्न –

प्र० 1. निम्नलिखित में कौन–सा कार्य बाल मजदूरी है?

(क) बच्चो का विद्यालय में पढ़ाई करना।
(ख) बच्चों का माता पिता के कार्यों में हाथ बँटाना।
(ग) बच्चों का होटल में काम करना।
(ग) बच्चों का शादी समारोह में जाना।

उत्तर. (ग) बच्चों का होटल में काम करना।

प्रश्न 2. संविधान में वर्णित किस मौलिक अधिकार में बाल श्रम निषेध अधिकार दिये गये है?

(क) स्वतंत्रता का अधिकार (ख) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(ग) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (घ) समानता का अधिकार

उत्तर. (ख) शोषण के विरुद्ध अधिकार

प्रश्न 3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2010) के तहत कितने वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का का प्रावधान है?

(क) 0 – 6 वर्ष (ख) 10 – 14 वर्ष
(ग) 6–14 वर्ष (घ) 1–12 वर्ष

उत्तर. (ग) 6–14 वर्ष

प्रश्न 4. 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करना दंडनीय अपराध है। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है?

(क) अनुच्छेद – 22 (ख) अनुच्छेद –24
(ग) अनुच्छेद – 18 (घ) अनुच्छेद –21

उत्तर. (ख) अनुच्छेद–24

प्रश्न 5. कोई व्यकि बाल मजदूरी करवाता है। यदि उसका यह अपराध प्रथम बार सिद्ध होता है, तो उसे कितने दिन की सजा होगी ?

(क) तीन महीने से लेकर 1 वर्ष (ख) छः महीने से लेकर 2 वर्ष
(ग) सात वर्ष (घ) आजीवन कारावास

उत्तर. (क) तीन महीने से लेकर 1 वर्ष

© JCERT not to be republished

स्मरणीय तथ्य

- मानव एक सामाजिक प्राणी है।
- सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना या मानवीय संबंधो में जो समस्या उतपन्न होती है, उन्हें हम सामाजिक समस्या कहते है।
- हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्या व्याप्त हैं।

  जैसे— बाल शोषण, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, गरीबी, जातिवाद, मानव तस्करी, नशाखोरी आदि।
- बाल विवाह एक कुरीति है।
- बाल—विवाह का अर्थ है— लड़कियों का 18 वर्ष से कम उम्र में की गई शादी।
- कानून में लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
- बाल विवाह रोकने में शिक्षक, समाज के लोग, मीडिया महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
- बाल—विवाह कराने वाले पर 2 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना है।
- मादक पदार्थों का नियमित सेवन नशाखोरी कहलाता है।
- हर साल 31 मई को तबाकू मुक्ति दिवस व विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- मानव तस्करी भीख मंगवाने, जबरन शादी, घरेलु गुलामी, अंग निकालना, बंधक मजदूर बनाने आदि के लिए की जाती है।
- मानव तस्करी के दोषी पाये जाने पर सात साल की सजा का प्रावधान है।
- एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट झारखंड के आठ जिलों में काम कर रही है।
- 5 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को कल—कारखाने से कार्य करवाना बाल श्रम या बाल मजदूरी कहलाता है।

© JCERT not to be republished